

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-15/अ0प्र0-10-03/2021

पटना, दिनांक

प्रेषक,

कुमार अनिल सिन्हा,
प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी,
सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक/सभी
अग्रिम योजना अंचल/सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला/सभी नोडल पदाधिकारी(प्रधानमंत्री ग्रामीण
सड़क योजना, ब्राडा/मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना/ग्रामीण पथ विकास अभिकरण),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना आवेदन के साथ संलग्न शुल्क
संबंधित शीर्ष में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 4559 दिनांक 30.08.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना का
अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत समर्पित प्रपत्र 'क' एवं प्रथम अपील आवेदन के साथ उपलब्ध
कराये गये शुल्क को संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अबतक
अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक
31.12.2022 तक प्राप्त सभी शुल्क (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/चालान/बैंक ड्राफ्ट/नाजीर रसीद) को
संबंधित शीर्ष में जमा कराते हुए संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-उप सचिव

ज्ञापांक:-15/अ0प्र0-10-03/2021

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों को अपने स्तर से निदेश देने की कृपा करें।

अनुलग्नक-यथोक्त।

ह0/-

प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-उप सचिव

P.T.O.

ज्ञापांक:-15/अ0प्र0-10-03/2021

416अ-30

पटना, दिनांक 25/1/23

ई-मेल

प्रतिलिपि:- आई0टी0मैनेजर, सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल पते पर सूचना भेज दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

प्रथम उपोपनिवेश प्रोधिकार-सह-उप सचिव

6

आ.स. व. 9/1/23

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

(15) (7)

पत्रांक:-15/अ0प्र0-10-06/2022

4559

पटना, दिनांक 30/8/22

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,
प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-संयुक्त सचिव(अभियंता संवर्ग),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रथम अपीलीय प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी,
सभी अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक
अभियंता का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/राज्य गुणवत्ता समन्वयक,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अग्रिम योजना अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार/सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी नोडल
पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार(प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,
ब्राडा/मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना/ग्रामीण पथ विकास अभिकरण), बिहार,
पटना।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना आवेदन के साथ संलग्न शुल्क
संबंधित शीर्ष में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005 के अंतर्गत समर्पित प्रपत्र 'क' एवं प्रथम अपील आवेदन के साथ शुल्क
उपलब्ध कराया जाता है। जिसे संबंधित शीर्ष में जमा किया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि उक्त संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
दिनांक 31.07.2022 तक प्राप्त सभी शुल्क (भारतीय पोस्टल ऑर्डर/चालान/बैंक
ड्राफ्ट/नाजीर रसीद)को संबंधित शीर्ष में जमा करते हुए इसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराने
की कृपा करें।

विश्वासभाजन

Ashok
30/08/22

प्रथम अपीलीय प्राधिकार
-सह-संयुक्त सचिव(अभियंता संवर्ग)

ज्ञापांक:-15/अ0प्र0-10-06/2022

4559

पटना, दिनांक 30/8/22

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधीन कार्यालयों को अपने स्तर से निदेश देने की
कृपा करें।

Ashok
30/08/22

प्रथम अपीलीय प्राधिकार
-सह-संयुक्त सचिव(अभियंता संवर्ग)

P.T.O.